

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-28.02.2022

विज्ञापन संख्या-01/2022

झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) नियमित के पदों पर नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-183 (3) दिनांक 18.05.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य में दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्यायना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में **Online** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

1. (i) पद का नाम- दन्त चिकित्सक

(ii) विभाग द्वारा अध्यायित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation against total vacancy						
		No. of vacancies	Primitive Tribe	Women	Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive	Multiple disabilities
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	Unreserved	10	00	01	00	00	00	01	00
ii	EWS	02							
iii	ST	06							
iv	SC	03							
v	BC-I	01							
vi	BC-II	01							
Total of (i) to (vi)		23	00	01	00	00	00	01	00

(नोट :- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है)।

2. वेतनमान — PB-II- 9300-34800 (Grade Pay – 5400)- Level-09

3. पद — स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :-

(i) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 डिग्री (BDS Degree)

(ii) दन्त चिकित्सक के रूप में भारतीय दन्त पर्षद अथवा राज्य दन्त पर्षद से निबंधित। (Should be registered with DCI or State Dental Council)

नोट :-पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, निबंधन के गणना की संदर्भ तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2021

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :- 23 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांगों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट मिलेगी।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 360 दिनांक-21.01.2003 के आलोक में वैसे स्थायी सरकारी कर्मों जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो को पूर्व निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट देय होगी।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) लिखित (बहुविकल्पीय) एवं मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा के दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective type multiple choice) के प्रश्न होंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5
1	प्रथम पत्र -(लिखित) (A)+(B)+(C) (A) 1. Human Anatomy, Embryology, Histology. 2. Human Physiology & Biochemistry. 3. Dental Anatomy, Embryology and Oral Histology. } 30 Marks (B) 1. General Pathology & Microbiology. 2. General and Dental Pharmacology and Therapeutics. 3. Dental Materials. } 30 Marks (C) 1. Oral Pathology and Microbiology. 2. General Medicine. 3. General Surgery. } 40 Marks	100	2 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
2	द्वितीय पत्र (लिखित) :- (i) Conservative Dentistry and Endodontics (ii) Oral & Maxillofacial Surgery. (iii) Oral Medicine and Radiology. (iv) Orthodontics & Dental Orthopaedics. (v) Paediatric & Preventive Dentistry. (vi) Public Health Dentistry. (vii) Periodontology. (viii) Prosthodontics and Crown & Bridge & Implants.	100	2 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
3	साक्षात्कार :-	50	-	-
4.	पाठ्यक्रम :-संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम Dental Council of India के अनुरूप होगा।			

(ग) न्यूनतम अर्हतांक:—लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में अलग-अलग निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :—

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	36.5 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

नोट:— उम्मीदवारों की संख्या कुल अधियाचित पद से पाँच गुणा या पाँच गुणा से कम होने पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार अनुशंसा किया जाएगा। एतदर्थ 100 अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा :—

‘क’— बी0डी0एस0 में प्राप्तांक— कुल 70 अंक

‘ख’— मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा — कुल 30 अंक

टिप्पणी—बी0डी0एस0 के लिए अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग के प्रतिशत को यथा स्थिति 0.7 के गुणक से गुणा करके होगा। जैसे अभ्यर्थी के बी0डी0एस0 डिग्री की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग का प्रतिशत 50 प्रतिशत होता है तो $50 \times 0.7 = 35$ अंक दिये जायेंगे।

—साक्षात्कार में भी उपर्युक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. (क) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक एक घंटे पर बीस मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।
- (ख) वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्द्राधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (ग) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतलेखक एवं स्क्राइब नहीं लाएंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (घ) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12वीं कक्षा अथवा इंटरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

9. आरक्षण का लाभ :—

- (क) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।
- (ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आब्रजित महिलाओं को आब्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:—

- (i) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** :-झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट:-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-4258, दिनांक-30.05.2019 में दिये गये निर्देश के आलोक में पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ङ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) **निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा:-** केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

10. **(क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (vii) Using unfair means during the test, or
- (viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

- (x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ख) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. +919431301636 एवं +919431301419 पर केवल कार्य दिवस में सुबह-11.00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साइज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (ङ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्टि करेंगे।
- (च) अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की मुद्रित स्व-हस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम अंकित करना आवश्यक होगा।
- (i) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र,
- (ii) इंटरमीडिएट अंक पत्र/प्रमाण पत्र,
- (iii) बी०डी०एस० डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
- (iv) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद अथवा राज्य दन्त चिकित्सा पर्षद का निबंधन प्रमाण-पत्र,
- (v) जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (vii) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (viii) अन्य संबंधित अभिलेख जो विज्ञापन के अनुरूप वांछित हो।
- (छ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (झ) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि हेतु आवेदक अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

13. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-08.02.2022 से 28.02.2022 अपराह्न 5:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-28.02.2022 के बाद दिनांक-01.03.2022 अपराह्न-11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (कंडिका-12(च) के अनुसार) आयोग कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक-09.03.2022 शाम 05:00 बजे तक है।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।